

चेकलिस्ट क्रमांक- 30

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल में निम्न प्रकरण स्वीकृत है जिसकी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	संस्था का नाम	वनभूमि/राजस्व वन भूमि	रकबा हे. में
1	2	3	4
1	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमि. चांपा	पी.एफ. राजस्व वनभूमि	24.886 14.364
2	मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमि. चांपा	राजस्व वनभूमि	0.809
3	खरसियां शाखा नहर	आर.एफ.	4.541
4	के.एस.के. महानदी कम्पनी लिमिटेड नरियरा (पाईप लाईन)	आरेंज एरिया	0.387
5	उपमहाप्रबंधक पावर ग्रिड 765 के.व्ही.डी.सी. ट्रांसमिशन लाईन	पी.एफ.	7.520
6	धरमजयगढ़ - जबलपुर ट्रांसमिशन लाईन	आर.एफ. पी.एफ. राजस्व वनभूमि	11.055 15.745 6.263
7	लैंको अमरकंटक पावर लि. ग्राम पताडी जिला-कोरबा	आर.एफ. 86 पी.एफ. 1710	8.004
8	मडवा-तेन्दुभाठा ताप विद्युत संयंत्र मडवा जिला जांजगीर-चांपा	राजस्व वनभूमि	114.355
9	मेसर्स छ.ग. डब्ल्यू.आर. ट्रांसमिशन लाईन	आर.एफ. पी.एफ. राजस्व वनभूमि	7.021 5.549 9.612
10	मुख्य अभियंता लो.नि.वि.रा.रा.मा. एन.एच. 200 रायपुर	राजस्व वनभूमि	2.783
11	जे.सी.ई.ओ. इन्फोटेक चिप्स रायपुर	आर.एफ., पी.एफ., राजस्व वनभूमि	1.051 0.519 0.115
12	प्रोजेक्ट डायरेक्टर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बिलासपुर	आर.एफ. पी.एफ. राजस्व वनभूमि	29.928 12.473 5.251
13	एस.बी.जे. प्रोजेक्ट प्रा. लिमि. कोतरा रोड रायगढ़	आर.एफ.	0.2091
14	उपमहाप्रबंधक (निर्माण) गेल इंडिया प्रा. लि. रायपुर	पी.एफ., राजस्व वनभूमि	3.327 0.877
15	अथेना छ.ग. पावर लि. ग्राम सिधीतराई	राजस्व वनभूमि	15.710
		योग	302.855

वन संरक्षण अधिकारी
जांजगीर-चांपा

उप वन मंडल अधिकारी
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

वनमंडल अधिकारी
जांजगीर-चांपा, वनमंडल

चेकलिस्ट क्रमांक- 31 की जानकारी

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनमंडलाधिकारी द्वारा भरी जानें वाली जानकारीयां

- 1 छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संबंधित जिलों की कुल वास्तविक वनभूमि रकबा 25006.0 है।
- 2 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छ.ग. राज्य के संबंधित जिलों के स्वीकृत प्रकरणों में अब तक कितनी वनभूमि प्रभावित हुई है उसका वास्तविक रकबा 44.600 है।
- 3 वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छ.ग. राज्य के संबंधित जिलों के भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में कुल कितनी वनभूमि प्रत्यावर्तित हुई है जिसका प्रयोजनावार कुल रकबा

लघु खनिज प्रयोजन कुल रकबा	—	39.250 हे.
सिंचाई परियोजना कुल रकबा	—	4.541 हे.
विद्युत पावर प्रयोजन कुल रकबा	—	200.834 हे.
पाईप लाईन कुल रकबा	—	6.877 हे.
सड़क/रेलवे लाईन कुल रकबा	—	51.453 हे.

कुल योग	302.855 हे.
---------	-------------


वन परियोजनाधिकारी
छ.ग. राज्य, रायपुर


उप वन मंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)


वनमंडलाधिकारी
जांजगीर-चांपा, वनमंडल

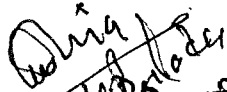
चेक लिस्ट क्रमांक-17

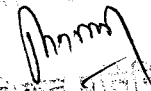
वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र

मेसर्स गुप्ता स्टोन माईन्स, बिलासपुर के द्वारा खनिज परिवहन के लिए जांजगीर-चांपा जिले के जांजगीर-चांपा वनमंडल अंतर्गत ग्राम-लोहराकोट, तहसील- जैजैपुर में पहुंच मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 44 के 1.18 हेक्टेयर वनभूमि का गैर-वाणिज्यिक उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है।

व्यपवर्तित होने वाली 1.18 हेक्टेयर वनभूमि के समतुल्य वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर-वनभूमि जिला-जांजगीर-चांपा के अंतर्गत तहसील-अकलतरा, राजस्व निरीक्षक मंडल-कोटगढ़, प.ह.न. 10 ग्राम-बम्हनी खसरा क्रमांक 17/2 में से रकबा-0.405 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 17/3 में रकबा 0.809 कुल रकबा 1.214 हेक्टेयर का चयन किया गया है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर-वनभूमि का वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।


वन परिक्षेत्राधिकारी
बलौदा वन परिक्षेत्र


अधिकृत जलानिधि
(अशोक जायवानी)
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
गुप्ता स्टोन माईन्स,
बिलासपुर (छ.ग.)


वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर - चांपा वनमण्डल


उप वनमण्डलाधिकारी
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)